न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरलीमण्डी, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : राजीव जिन्दल, आर.जे.एस.

आपराधिक प्रकरण संख्या : 647/2020 (833/2018)

CNR NO. : RJAL360000452020

एफआईआर नम्बर : 306/18 पीएस खेरली

राजस्थान राज्य

–– **अभियोगी**

– बनाम –

1. **राहुल उर्फ रिंकू पुत्र श्री विष्णु कुमार, हाल उम्र 38 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास पुरानी सब्जीमण्डी चौराहा वार्ड नंबर 16 बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर।**

––– **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा0द0सं0

उपस्थित :–

1–विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी : वास्ते अभियोगी।

2–विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेन्द्र सिंह नरूका : वास्ते–अभियुक्त।

3–विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा : वास्ते–परिवादिया।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 08.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया रीना द्वारा न्यायालय में एक परिवाद पत्र प्रदर्श पी 1 इस आशय का पेश किया कि परिवादिया की शादी मुताबिक हिन्दू रीति रिवाज के दिनांक 15.02.2015 को राहुल उर्फ रिंकू के साथ बयाना में सम्पन्न हुई थी। उसकी शादी मे उसके माता पिता ने अपनी हैसियतानुसार दान दहेज व जेवर, घरेलू सामान व नकद 3,51,000 रूपये दिये थे। शादी के बाद ससुराल पहुँचते ही ससुरालवाले सामान से संतुष्ट नहीं हुए तथा दहेज में

11,00,000 रूपये नकद की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिंक रूप से प्रताडित व मारपीट करते चले आ रहे है। दिनांक 20.12.15 को परिवादिया के पुत्र हुआ तब मुलजिमान की दहेज की मांग और बढ गई तथा 11 लाख रुपये कुंआ पूजन के समय मांगने लग गये। सभी मारपीट करते। प्राथर्नी का भाई रिश्तेदारों को लेकर बयाना गया तथा जैसे तैसे मुलजिमान को समझाया लेकिन लगातार मुलजिमान परिवादिया के साथ मारपीट करते व बार बार घर से खेरली भेज देते और कहते कि 11 लाख रुपये लेकर आ तो ही वे उसे रखेंगे। परिवादिया के घर वालों ने हाथ जोडकर कई बार समझाने का प्रयास किया। दिनांक 01.04.2018 को परिवादिया को मारपीट कर पहने हुये कपडों में उसके बेटे सहित खेरली स्टैण्ड पर छोडकर मुल० राहुल चला गया। उन लोगों ने परिवादिया का स्त्रीधन भी देने से मना कर दिया। परिवार वालों ने मुलजिमान को समझाने का प्रयास किया लेकिन मुलजिमान ने परिवादिया को रखने से इन्कार कर दिया, इत्यादि........... इत्यादि। उक्त परिवाद पर पुलिस थाना खेरली द्वारा मुकदमा संख्या 306/18 अन्तर्गत धारा 498ए,406,323 भा0दं0सं0 में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के खिलाफ धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.11.18 धारा 498ए भां.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया तो सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड. 1 रीना, पी.ड. 2 योगेश, पी.ड. 3 ईश्वरदयाल, पी.ड. 4 सुनील, पी.ड. 5 परसादी, पी.ड. 6 रामकुमार, पी.ड. 7 मनीष, पी.ड. 8 धर्मेन्द्रसिंह, पी.ड. 9 मुरारीलाल, पी.ड. 10 अनिल, पी.ड. 11 सजनसिंह, पी.ड. 12 उमेश बेनीवाल, पी.ड. 13

कमलसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :–

प्रदर्श पी 1	परिवाद पत्र
प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
पुनः प्रदर्श पी 2	पुलिस बयान योगेश
प्रदर्श पी 3	पुलिस बयान ईश्वरलाल
प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान अनिल
प्रदर्श पी 5	मेडीकल मुआयना कराने बाबत् पत्र
प्रदर्श पी 6	स्त्रीधन दिये जाने के संबंध में सबूत पेश करने के लिए सूचित करने बाबत् पत्र
प्रदर्श पी 7	स्त्रीधन दिये जाने के संबंध में सबूत पेश करने के लिए पुनः पत्र
प्रदर्श पी 8	शादी का कार्ड
प्रदर्श पी 9	चालान

- अभियुक्त पक्ष की ओर से दौराने अभियोजन साक्ष्य पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श डी 1, परिवादिया को दिया गया विधिक नोटिस प्रदर्श डी 2, ट्रैक डिटेल्स प्रदर्श डी 3, न्यायालय आदेश एडीजे संख्या 2 बयाना, भरतपुर दिनांकित 18.11.2025 प्रदर्श डी 4, डिक्री एडीजे संख्या 2 बयाना, भरतपुर दिनांकित 18.11.2025 प्रदर्श डी 5 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. इसके उपरांत अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार परीक्षित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य का गलत होना जाहिर कर कथन किया कि उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा किया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा तथा साक्ष्य सफाई में अभियुक्त ने स्वयं को बतौर गवाह

डी.डब्ल्यू 1 राहुल के रूप में परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श डी 1, परिवादिया को दिया गया विधिक नोटिस प्रदर्श डी 2, ट्रैक डिटेल्स प्रदर्श डी 3, न्यायालय आदेश एडीजे संख्या 2 बयाना, भरतपुर दिनांकित 18.11.2025 प्रदर्श डी 4, डिक्री एडीजे संख्या 2 बयाना, भरतपुर दिनांकित 18.11.2025 प्रदर्श डी 5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि, प्रकरण की परिवादिया व उसके भाईयों ने अभियोजन कहानी का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है। साक्ष्य में परीक्षित गवाहान ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। स्वतंत्र साक्षीगण पूर्णतः पक्षद्रोही साबित हुए हैं। अतः प्रकरण में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाकर दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित होने का कथन कर उसे उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ अवधार्य बिन्दु यह है कि,

1. क्या अभियुक्त रिंकू उर्फ राहुल ने परिवाद पत्र प्रस्तुति दिनांक 24.04.18 से पूर्व परिवादिया रीना का विवाह दिनांक 15.02.2015 मौजा बयाना में संपन्न होने के उपरांत उसका पति होते हुए ससुराल व अन्यत्र स्थान पर दहेज स्वरूप 11 लाख रूपये की मांग की एवं उक्त मांग की पूर्ति ना होने पर उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या हो ?

8. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रकरण की

सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह परिवादिया **पी.ड. 1 रीना** द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि उसकी शादी दिनांक 15.12.2015 को राहुल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ बयाना में सम्पन्न हुयी थी। शादी मे उसके पिताजी ने 3,51,000 नकद फर्नीचर का सारा सामान, बर्तन बगैरा, सोने का हार, सोने के कुण्डल पायजेब सोनी की अंगूठी आदि दिये थे। राहुल को उसके पिताजी ने सोने चॉदी की अंगूठी सोने की चैन दी थी। उसकी शादी राजीखुशी हुई थी। उसके पति राहुल, सास परिमेश, ससुर विष्णू, जेठ विक्की इन सभी लोगों ने उसे दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। दहेज मांगने वाली बात उसने उसके भाई परसादी को फोन पर बताई कि ये लोग ग्यारह लाख रूपये और मांग रहे हैं जब वह अपनी ससुराल मे थी तब उसका भाई परसादी बडा छोटा सुनील और दो तीन आदमी बयाना पहुॅचे तो उन्होंने समझाईश की बात की। तो वह लोग नहीं माने। उसका ससुराल में एक साल तक आना जाना रहा था। एक साल बाद उसके एक बेटा दक्ष 20.12.2025 को पैदा हुआ। बाद मे वे लोग और पैसों की मांग करने लगे। और कहा कि ग्याहर लाख रूपये और चाहिये। 1 अप्रैल को उसका पति उसे खेरली बस स्टैण्ड पर छोड गया। उसे उसके पति ने दूसरी शादी के लिए भी कहा। उसने जरिये इस्तगासा मुकदमा दर्ज करवाया। जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता0 है। **जिरह में साक्ष्य देती है कि उसकी शादी को सात साल हो गये हैं। शादी से पहले उनसे कोई दहेज की मांग नहीं की गई। शादी के 10—15 दिन बाद से ही उसके पति ने उससे दहेज की मांग शुरू कर दी थी। उससे उसका पति रोज क्लेश करता था। उसके व उसके पति के बीच में क्लेश का कारण कमल नरूका नहीं है। उसके बेटे दक्ष के जन्म का खर्चा उसके मां—बाप ने उठाया था। यह कहना गलत है कि उसे वकील का नोटिस प्राप्त हुआ हो जिस पर उसने मुकदमा दर्ज करा दिया हो। उसने जो दहेज का सामान देना बताया है, उस बाबत उसने कोई बिल इत्यादि पेश नहीं किये हैं। शादी के समय संपूर्ण सामान राजीखुशी दिया था। शादी के समय कोई दहेज की मांग**

नहीं की।

9. गवाह **पी.ड. 2 योगेश व पी.ड. 3 ईश्वरदयाल** को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर उनके द्वारा क्रमशः अपने–अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 व पी 3 पुलिस को नहीं दिए जाना बताया है। **अभियोजन जिरह में राहुल द्वारा रीना से कभी दहेज की मांग नहीं किये जाने की साक्ष्य देते हैं। अभियुक्त जिरह में कथन करते हैं कि शादी का पूरा खर्चा राहुल की तरफ से ही उठाया गया था। परिवादिया के पिता ने कोई खर्चा नहीं किया था।**

10. **गवाह पी.ड. 4 सुनील** जो कि परिवादिया का भाई है, जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.2.202015 को रीना की शादी राहुल के साथ बयाना मे हुयी थी। शादी मे हैसियत अनुसार दहेज व साढे तीन लाख रूपये मंगलसूत्र पायजेब, अंगूठी, घर का सामान दिया था। शादी के बाद उसकी बहिन ससुराल मे रहने लगी। शादी के बाद से रीना के ससुरालीजन उसे 11 लाख रूपये की मांग करने लगे और उसकी बहिन को परेशान करने लगे। रीना ने दहेज की बात अपने पीहर मे बतायी। वे दो तीन बार समझाने गये। पर वो लोग अपनी मांग से बाज नहीं आये और दिनांक 1.4.2018 को उसकी बहिन को राहुल उक्त दहेज की मांग को लेकर खेरली बस स्टैण्ड पर छोडकर चला गया। जिरह में साक्ष्य देता है **कि उन्होंने शादी का पूरा खर्चा 3.50 लाख रूपये एकमुश्त लडके वालों को दे दिये थे। उन्होंने सामान वगैरह का कोई बिल वगैरह पेश नहीं किया है। रीना के ससुराल वाले उसे एक माह बाद से ही परेशान करने लग गये थे। उन्होंने रीना के साथ की जा रही मारपीट वगैरह की रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं करवाई। दहेज की मांग सभी से की थी। दिनांक 01. 04.18 को उसकी बहन को छोडकर जाने के समय रीना के शरीर पर चोट थी। इस मुकदमे में पुलिस ने कोई स्त्रीधन जब्त नहीं किया। स्त्रीधन जब्त करवाने बाबत पुलिस की कोई शिकायत नहीं की। शादी के पहले व शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की थी। कमल व रीना की कभी बात नहीं हुई। यह कहना गलत है कि उसकी बहन ने**

राहुल को छोड रखा है व राहुल दहेज की मांग करता हो।

11. **गवाह पी.ड. 5 परसादी** जो कि परिवादिया का भाई है, जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि उसकी छोटी बहिन रीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार रिंकू निवासी बयाना के साथ हुयी थी। शादी में हैसियत अनुसार दहेज में नकद साढे तीन लाख रूपये मंगलसूत्र, पायजेब, अंगूठी, घर का सामान दिया था। कुछ दिन उसकी बहिन ठीक ठाक रही। उसके बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और कहने लगे कि 10–11 लाख रूपये और लेकर आयेगी तो ठीक रखेंगे। नहीं तो नहीं रखेंगे उक्त मांग को लेकर उसकी बहिन को भगा देते। उन लोगों ने मुल0 को काफी समझाया जिस पर वो लोग कुछ समय तक तो ठीक रखते फिर उक्त दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लग जाते। दिनांक 20.12.2015 को उसकी बहिन के बच्चा हुआ जो भरतपुर जिंदल हॉस्पीटल मे हुआ। जिसका पूरा खर्चा उन लोगों ने वहन किया। उसकी बहिन को अस्पताल से छुटटी होने के बाद घर पर ले आये। महीने 20 दिन संभाल कर रखी। फिर बयाना चली गयी। कुछ दिन ठीक रही। फिर उसकी बहिन को ससुराल वाले और अधिक परेशान करने लग गये कि उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया फिर यही सिलसिला चलता रहा। समझाने पर भी वे लोग नहीं मानते। 01.04.2018 को रिंकू उसकी बहिन को खेरली बच्चे के साथ छोड गया और कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक नहीं रखेंगें। जिरह में साक्ष्य देता है **कि सामान का कोई बिल वगैरह पेश नहीं किया। शादी के करीब 3 माह बाद से ही राहुल दहेज की मांग करने लग गया था। करीब 5 माह बाद दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को घर से निकाल दिया था। राजीनामा की मीटिंग एक बार घर पर व तीन चार बार बयाना में हुई थी। शुरूआत में केवल दहेज का ताना मारते थे, रकम के बारे में नहीं बताते थे लेकिन लडका होने के बाद से 11 लाख रूपये बोलकर रकम की मांग की गई। शादी से पहले व शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी। जिस समय रिंकू छोडकर गया था, उस समय रीना के चोट के निशान**

थे। यह कहना गलत है कि उसकी बहन किसी और शख्स के साथ रहना चाहती हो, इसी वजह से राहुल को छोड रखा है।

12. **गवाह पी.ड. 6 रामकुमार** के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह बयाना का रहने वाला है उसकी पुरानी सब्जी मंडी चौराहे पर मो0 की दुकान है। उसकी दुकान के आगे राहुल का मकान है। राहुल के पिता की जूता चप्पल की दुकान है। इस कारण पडौसी होने के कारण इनके घर आना जाना रहता है। राहुल दो भाई और एक बहिन है। जिन सभी की शादी हो चुकी है। राहुल का भाई अलग रहता है। राहुल की शादी 15.02.2015 को खेरली निवासी रीना के साथ हुयी थी। रीना के पिता गूंगे व बहरे व गरीब व्यक्ति है। जिनकी गरीबी के कारण राहुल की शादी का खर्चा राहुल के परिवार वालों ने किया था। शादी मे नाते रिश्तेदारों के लिए अग्रसेन कन्या कालेज बयाना किराये पर लिया था। जिसका रूपया राहुल के परिवार वालों ने दिया था व अन्य शादी के खर्चे भी राहुल के परिवार वालो ने वहन किया था। शादी में किसी भी प्रकार का दहेज या नकद रकम नहीं थी। उसे इस बारे में पडोसी होने के नाते व शादी में सम्मिलित होने के कारण पता है। शादी के बाद रीना बयाना अपने ससुराल में रहने लग गई शादी के कुछ समय तक ठीक रहा उसके बाद रीना व राहुल में अनवन होना शुरू हो गया था। उसे भी पडोसी होने के नाते समझाईश के लिए बुलाया जाता था। अनवन का मुख्य कारण रीना का खेरली निवासी किसी कमल नरूका नाम के व्यक्ति से प्रेम सम्बन्ध था। राहुल के परिवार वाले अन्य लोग रीना को उसको छोडने के लिए समझाते थे परन्तु वह नहीं मानती थी ओर वह कमल नरूका से मिलने बिना बताये आ जाती थी। इन लोगो ने जब रीना को रोका तो रीना ने बढा–चढाकर यह मुकदमा दर्ज करा दिया जबकि रीना व उसके परिवार वालो से कोई दहेज की या नकद राशि नहीं ली थी तथा ना ही राहुल ने कभी दहेज की मांग की थी। जिरह में साक्ष्य देता है **कि उसके सामने राहुल ने रीना के साथ कोई भी कभी मारपीट नहीं की एवं ना ही उसने ऐसा कभी सुना।**

13. गवाह **पी.ड. 7 मनीष व पी.ड. 11 सजनसिंह** जो कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 के गवाह हैं, अपनी साक्ष्य में फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देते हैं।

14. गवाह पी.ड. 8 धर्मेन्द्रसिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह पुरानी सब्जी मंडी बयाना में रहता है। वह विष्णु जायसवाल को जानता है। वे उसके पडोसी है। विष्णु जायसवाल के 2 बेटे व 1 बेटी है। इन तीनों की शादी हो गई है। राहुल की शादी 15.02.2015 को खेडली निवासी रीना के साथ बयाना में अग्रसेन कॉलेज में हुई थी। उसने रीना के पिता को नहीं देखा है पर सुना है कि वह गूंगे, बहरे व गरीब है। शादी का पूरा खर्चा भी विष्णु जायसवाल ने उठाया था। अग्रसेन कॉलेज का खर्चा भी विष्णु जायसवाल ने उठाया था। शादी में कोई दहेज वगै. नहीं दिया गया था। शादी के बाद शुरू में रीना राजीखुशी से रहने लगी। इसके बाद इनके एक बेटा भी हुआ। बेटे के बाद घर में सामान्य घरेलू झगडे होने लगे जिस कारण रीना अपने भाई के साथ बेटे को लेकर खेडली आ गई। रीना से किसी ने भी कुछ भी दहेज की मांग नहीं की उसने लोगों के बहकावे में आकर बढा–चढाकर यह मुकदमा कर दिया है। जिरह में साक्ष्य देता है **कि राहुल ने कभी भी रीना से दहेज के लिए मारपीट नहीं की व ना ही परेशान किया।**

15. गवाह पी.ड. 9 मुरारीलाल के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि वह सेवा का नगला बयाना का मूल निवासी है पर अब रानी वाले बाग बयाना ही रहता है। वह वहां हनुमान जी के मंदिर में करीब 15 साल से पुजारी का कार्य करता है। वह विष्णु जायसवाल को जानता है वह उसका पडोसी है। उनके 3 बच्चे है मनीष, राहुल व नीतू है। जिन तीनों की शादी हो चुकी है। राहुल की शादी बयाना में खेडली की रीना नाम की लडकी से हुई जो मंदिर में उसके यहां पूजा करने आती थी। वह राहुल की शादी में शरीक हुआ था। शादी का खर्चा विष्णु जायसवाल ने उठाया था। शादी में दहेज में कुछ नहीं दिया गया। शुरू में शादी बाद दोनों सही रहे।

बाद में दोनों में मन–मुटाव हो गया था। जिस कारण रीना अपने बेटे को लेकर भाई के साथ खेडली आ गई। बाद में उन्होने सुना था कि रीना ने सभी घरवालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा किया है। जिरह में साक्ष्य देता है **कि राहुल ने कभी भी रीना से दहेज के लिए मारपीट नहीं की व ना ही परेशान किया।**

16. गवाह **पी.ड. 10 अनिल** द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में अभियोजन की कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर उसके द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 पुलिस को नहीं दिए जाना बताया है। जिरह अभियोजन में कथन करता है कि उसके सामने दहेज की कभी कोई बात नहीं आई। **अभियुक्त जिरह में कथन करता है कि राहुल उसका पडोसी है। पुलिस बयान प्रदर्श डी 4 का सी से डी व ई से एफ भाग सही है।**

17. गवाह **पी.ड. 13 कमलसिंह** द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.02.2015 को रीना की शादी राहुल के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई। शादी में सम्पूर्ण रूप दान दहेज सोने की अंगूठी, सोने की लर लैपटोप, फ्रीज, ए सी, वॉशिंग मशीन, डबल बैड, सौफा 51 जोडी, साडी 51 जोडी, पैंट शर्ट, नकद 351000 रुपये दिए थे। शादी बयाना में मैरिज होम में सम्पन्न हुई थी। जिसका किराया लडकी पक्ष ने दिया था। फिर शादी के महीने दो महीने बाद यह बात आई कि कम दहेज दिया है। लडकी की सास पदमेश, ससुर विष्णु, जेठ मनीष, ननद नीतू, जिठानी नेहा, नन्देउ अशोक कम दान दहेज का ताना मारते। 5–7 महीने बाद ताना मारते व सास ससुर व जेठ मारपीट करते। रीना का भाई सुनील व प्रसादी, चाचा कमलेश व धर्म व वह साथ साथ बयाना गए व उसके सास ससुर से बात की कि लडकी का पिता गूंगा बहरा मजदूरी करते है व उनकी इतनी क्षमता नही है कि आपको और दहेज दे सके फिर वे वहां से वापिस आ गए लेकिन उसके बावजूद भी लडकी को ताना मारते व मारपीट करते। इस दौरान 20.12.2015 को रीना ने एक पुत्र को जन्म

दिया। उसके बाद उसका पति राहुल उसकी सास पदमेश व ससुर कुआं पूजन के नाम पर 11 लाख की मांग करने लगे। राहुल रोजाना इसी बात को लेकर मारपीट करता व उसके सास ससुर व जेठ भी 11 लाख की मांग करते। और रीना के घर पर राहुल फोन करके कहता कि रीना की मां से व भाई से 11 लाख की मांग करता व उसके बाद ही कुआं पूजन करने की कहते। उसके बाबजूद भी उसका पति व उसके सास ससुर लगातार रीना के साथ मारपीट करते। सन् 2018 में मार्च के बाद राहुल मारपीट करके रीना को बयाना से ले आया व खेडली बस स्टैण्ड पर छोडकर चला गया और कहा कि अगर उसके मां बाप 11 लाख रूपये दे तो ही वापिस आना। जिरह में साक्ष्य देता है **कि 11 लाख की मांग उसके सामने नहीं की, उसे तो रीना ने बताया था। उसके सामने मारपीट नहीं की, लेकिन जब वे समझाने गये तब मुंह पर चोट के निशान थे। सामान के बिल के बारे में उसे जानकारी नहीं है।**

18. गवाह **पी.ड. 12 उमेश बेनीवाल** जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 18.06.2018 को थाना खेरली पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादिया श्रीमति रीना का एक परिवाद अंतर्गत धारा 156(3) जाब्ता फौजदारी का माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर उस पर कार्यवाही पुलिस उसके निर्देशन में अंकित की जाकर प्रकरण संख्या <u>306/18</u> अंतर्गत धारा 498 ए, 406, 323 आई पी सी में दर्ज कर अनुसंधान उसके द्वारा शुरू किया गया। न्यायालय में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र प्रदर्श पी 1 है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 2 है। दौराने अनुसंधान परिवादिया रीना, गवाह श्री सुनील, परसादी, कमल, योगेश, ईश्वरलाल, धर्मेंद्र सिंह, अनिल कुमार, रामकुमार, मुरारीलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए। दौराने अनुसंधान परिवादिया श्रीमति रीना को मैडिकल मुआयना हेतु नोटिस जारी किया गया जो प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी भाग पर परिवादिया द्वारा लिखित जबाव एवं सी से डी परिवादिया के, ई से एफ

उनके हस्ताक्षर है। परिवादिया को प्रकरण में गवाह सबूत शादी की फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी, शादी का कार्ड, कन्यादान की कॉपी, स्त्रीधन दहेज की सूची, जेवर आदि के रसीद बिल बाबत् नोटिस जारी किया जो प्रदर्श पी 06 है। इसी संदर्भ में परिवादिया को एक नोटिस जारी किया जो प्रदर्श पी 7 है। परिवादिया द्वारा पेश शादी का कार्ड प्रदर्श पी 8 है। बाद अनुसंधान आरोपी राहुल उर्फ रिंकू के विरूद्ध अपराध धारा 498 ए का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 हैं। बाद अनुसंधान आरोपी राहुल उर्फ रिंकू के विरूद्ध अपराध धारा 498 ए आई पी सी का प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो प्रदर्श पी 9 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। **जिरह में साक्ष्य देता है कि परिवादिया के पिता के गूंगे, बहरे होने वाली बात सही है। जिस कारण से शादी का समस्त खर्चा पुलिस द्वारा उठाये जाने वाली बात सही है। उसकी तफ्तीश में झगडे का मुख्य कारण वैचारिक मतभेद था। उसकी तफ्तीश में परिवादिया के घरवालों द्वारा दहेज का कोई सामान नही दिये जाना आया था। परिवादिया द्वारा बढा—चढाकर मुकदमा दर्ज करवाये जाने वाली बात सही है।**

19. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विचारणीय बिंदु के संदर्भ में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन व विश्लेषण करें तो अभियोजन द्वारा इस्तगासा प्रदर्श पी 1 को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष गवाहान को परीक्षित कराया है जिनमें से प्रकरण की परिवादिया पी.ड. 1, रीना, उसके भाई पी.ड. 4 सुनील व पी.ड. 5 परसादी तथा स्वतंत्र गवाह पी.ड. 13 कमलसिंह ने समर्थनकारी साक्ष्य दी है जबकि गवाह पी.ड. 2 योगेश, पी.ड. 3 ईश्वरदयाल, पी.ड. 6 रामकुमार, पी.ड. 8 धर्मेन्द्रसिंह, पी.ड. 9 मुरारीलाल व पी.ड. 10 अनिल ने अभियोजन की कहानी का पूर्णतः समर्थन ना करते हुए साक्ष्य दी है। गवाह पी.ड 7 मनीष व पी.ड. 11 सजनसिंह जो कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 के गवाह हैं जबकि गवाह

पी.ड. 12 उमेश बेनीवाल जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन व विश्लेषण करें तो परिवादिया पी.ड 1 अपनी मुख्यपरीक्षा के दौरान अपना विवाह अभियुक्त राहुल के साथ होने के उपरांत पति राहुल, सास–ससुर, जेठ आदि द्वारा दहेज के लिए तंग करना और दहेज में 11 लाख रूपये की मांग करना बताती हैं एवं शादी के 1 साल बाद अपने बेटे के जन्म के उपरांत उपरोक्त लोगों द्वारा और अधिक मांग कर 11 लाख रूपये की मांग किये जाना बताती है व 1 अप्रैल 2018 को पति राहुल द्वारा खेडली बस स्टैण्ड पर छोड जाना बताती है। परिवादिया का भाई पी.ड. 4 सुनील, पी.ड. 5 परसादी भी अपनी साक्ष्य में उसकी बहन रीना को राहुल, सास–ससुर आदि द्वारा 11 लाख रूपये की मांग कर तंग परेशान किये जाना बताते हैं तथा अपनी बहन को दिनांक 01.04.18 को पैसे नहीं दिये जाने के कारण खेडली छोड जाना बताते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तीनों गवाहान द्वारा मुख्यपरीक्षा में सिलसिलेवार तरीके से अभियोजन की कहानी का समर्थन कर परिवादिया/बहन रीना को ससुराल में पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों द्वारा 11 लाख रूपये की मांग को लेकर परेशान किये जाना बताते हैं। स्वतंत्र साक्षी गवाह पी.ड 13 भी अपनी मुख्यपरीक्षा में परिवादिया के पति, सास–ससुर, जेठ–जेठानी, ननद–ननदोई आदि द्वारा कम दहेज का ताना मारना एवं सास–ससुर, जेठ द्वारा मारपीट करना व दिनांक 20.12.15 को रीना के पुत्र जन्म के बाद पति राहुल व सास–ससुर द्वारा कुंआ पूजन के नाम पर 11 लाख रूपये की मांग किये जाना बताता है व सन् 2018 में मार्च माह में रीना के साथ मारपीट कर बयाना से खेडली बस स्टैण्ड पर छोडकर चले जाना बताता है।

20. उपरोक्त गवाहान द्वारा प्रतिपरीक्षा में दी गई साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादिया अपनी जिरह में शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं होना बताती है एवं शादी के 10–15 दिन बाद ही पति द्वारा दहेज की मांग शुरू कर देना बताती है एवं बयाना में मारपीट होने बाबत थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाये जाना बताती है एवं शादी के समय भी

किसी प्रकार की कोई दान–दहेज की मांग नहीं किये जाना बताती है। गवाह पी.ड 4 अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान एक माह बाद ही रीना को परेशान करने वाली बात बताता है एवं बाद में समझाइश करने पर हर 2–3 माह के अंतराल पर रीना को परेशान किये जाना एवं रीना के साथ की जा रही मारपीट की रिपोर्ट बयाना या अन्य किसी थाने पर दर्ज नहीं करवाये जाने वाली बात भी बताता है एवं दहेज की मांग सभी परिवार वालों से किये जाने वाली बात बताता है एवं दिनांक 01.04.18 को खेडली छोड जाने के समय रीना के शरीर पर चोट होना एवं शादी से पहले व शादी के समय मुलजिम द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं रखना बताता है। परिवादिया का अन्य भाई गवाह पी.ड 4 अपनी जिरह में अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी बहन की शादी के करीब 3 माह बाद ही राहुल द्वारा दहेज की मांग करने लग जाना एवं दहेज की मांग उसकी बहन से ही किये जाना व उसको एक–दो बार ही बहन द्वारा फोन पर दहेज की बात बताये जाना बताता है एवं शुरूआत में दहेज का ताना मारना व पैसे मंगाने वाली बात बताता है तथा 11 लाख रूपये की मांग लडका पैदा होने के 2 माह पहले किये जाने की बात बताता है। शादी से पहले व शादी के समय कोई दहेज की मांग होने वाली बात स्वीकारता है एवं रिंकू द्वारा उसकी बहन को खेडली छोडे जाने के समय रीना के शरीर पर दो–तीन चोटों के निशान होने वाली बात बताता है परंतु उस समय कोई मेडीकल व ईलाज नहीं करवाये जाना व रीना को उस समय थाने पर नहीं लेकर जाने वाली बात बताता है।

21. इस प्रकार परिवादिया व उसके दोनों भाईयों के द्वारा मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में दी गई साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त राहुल द्वारा परिवादिया से नियमित रूप से दहेज की मांग नहीं की जाती थी। परिवादिया व उसके दोनों भाईयों ने अभियुक्त के विरूद्व दहेज की मांग को लेकर परेशान करने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रकृति के कथन नहीं किये है। परिवादिया की साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट नहीं हुआ है कि ससुराल में उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाती

हो। परिवादिया व उसके दोनों भाई प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त द्वारा परिवादिया को खेडली छोडकर जाने के समय परिवादिया के शरीर पर चोट होना बताते हैं परंतु उक्त तथ्य के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। जिससे यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गई हो। स्वतंत्र साक्षी गवाह पी.ड 13 अपनी जिरह में परिवादिया के ससुराल में समझाईश के लिए जाने पर परिवादिया के मुंह पर चोट के निशान होना बताता है परंतु उक्त तथ्य के समर्थन में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। स्वंय परिवादिया ने भी मुख्यपरीक्षा के दौरान राहुल द्वारा उसके साथ मारपीट करने बाबत कोई कथन नहीं किये है। गवाह पी.ड 13 अपनी जिरह में यह भी तथ्य स्वीकारता है कि 11 लाख रूपये की मांग उसके सामने कभी नहीं की थी बल्कि उसे उक्त मांग के संबंध में रीना द्वारा ही बताया गया था। इस प्रकार परिवादिया व उसके दोनों भाई व स्वंतत्र साक्षी गवाह पी.ड 13 की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्टत : प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया से ससुराल में 11 लाख रूपये की मांग की जाती हो और उक्त मांग की पूर्ति ना करने पर परिवादिया के साथ मारपीट ना कर उसे तंग व परेशान किया जाता हो। साक्ष्य में परीक्षित गवाह पी.ड. 2 योगेश, पी.ड. 3 ईश्वरदयाल, पी.ड. 6 रामकुमार, पी.ड. 8 धर्मेन्द्रसिंह, पी.ड. 9 मुरारीलाल व पी.ड. 10 अनिल अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा परिवादिया से 11 लाख रूपये की मांग किये जाने के संबंध में कोई उचित साक्ष्य नहीं देते हैं। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड 12 की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य भी आया है कि दोनों पक्षों में झगडे का मुख्य कारण आपसी वैचारिक मतभेद था व परिवादिया ने स्वेच्छया अपना कोई मेडीकल मुआयना भी नहीं करवाया था एवं परिवादिया द्वारा बढा–चढाकर उक्त मुकदमा दर्ज करवाया था। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 1 में वर्णित तथ्यों पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया है।

22. इस प्रकार पत्रावली पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में

उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा 11 लाख रूपये/– की मांग की पूर्ति हेतु परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित करने बाबत् संदेह रहित साक्ष्य मौजूद नहीं है।

23. इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त रिंकू उर्फ राहुल ने परिवाद पत्र प्रस्तुति दिनांक 24.04.18 से पूर्व परिवादिया रीना का विवाह दिनांक 15.02.2015 मौजा बयाना में संपन्न होने के उपरांत उसका पति होते हुए ससुराल व अन्यत्र स्थान पर दहेज स्वरूप 11 लाख रूपये की मांग की एवं उक्त मांग की पूर्ति ना होने पर उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भांदंसं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

24. अतः अभियुक्त **राहुल उर्फ रिंकू पुत्र श्री विष्णु कुमार, हाल उम्र 38 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास पुरानी सब्जीमण्डी चौराहा वार्ड नंबर 16 बयाना पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर** को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा 437ए दंप्रसं. के जमानत मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0
खेरलीमण्डी, अलवर

25. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा सहित प्रसारित किया गया।

(राजीव जिन्दल)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0
खेरलीमण्डी, अलवर